"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	(1) ई. एम. पार्ट 1 अभिस्वीकृति जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	07 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	–	(2) ई. एम. पार्ट 2 अभिस्वीकृति जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(3) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	30 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(4) नियंत्रित कच्चे माल की अनुशंसा करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	30 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(5) भूमि आवंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना (निर्धारित भू-आवेदन पत्र में उल्लेख सम्पूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्यमी को देना)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(6) भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम राशि भुगतान के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(7) आवंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात्)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	–	(8) लीजडीड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् इकाई द्वारा लीजडीड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-	(9) सक्षमता प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र पूर्ण होने की स्थिति में)	21 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	-	(10) बैंक लोन की अनुशंसा पत्र जारी करना.	15 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
2.	सहायक पंजीयक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	(1) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	30 कार्य दिवस	सहायक पंजीयक (अधिनियम की धारा 4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारी)	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
	-	(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	15 कार्य दिवस	सहायक पंजीयक (अधिनियम की धारा 4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारी)	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
3.	उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़	(1) वृहद, मेगा प्रोजेक्ट व अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट, उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	90 कार्य दिवस	अपर/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	-	(2) नियंत्रित कच्चे माल की अनुशंसा करना (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से उ.संचा. को अनुशंसा सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में)	30 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	-	(3) भूमि आवंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना (निर्धारित भू-आवेदन पत्र में	21 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		उल्लेख सम्पूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्यमी को देना)				
	-	(4) भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम राशि भुगतान के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	-	(5) आवंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात्)	21 कार्य दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	-	(6) लीजडीड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् इकाई द्वारा लीजडीड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)	21 कार्य दिवस में लीजडीड निष्पादन	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
4.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़	(1) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	30 कार्य दिवस	उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	-	(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.	15 कार्य दिवस	उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
5.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	(1) भूमि आवंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना (निर्धारित भू-आवेदन पत्र में	21 कार्य दिवस	कार्यपालक संचालक/मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		उल्लेख सम्पूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्यमी को देना)				
	–	(2) भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम राशि भुगतान के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	कार्यपालक संचालक/मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(3) आवंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात्)	21 कार्य दिवस	कार्यपालक संचालक/मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(4) लीजडीड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् इकाई द्वारा लीजडीड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)	21 कार्य दिवस में लीजडीड निष्पादन	कार्यपालक संचालक	प्रबंध संचालक	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
6.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़	(1) वाष्पयंत्रों के पंजीयन हेतु निरीक्षण.	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(2) वाष्पयंत्रों का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करना.	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(3) वाष्पयंत्रों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव.	02 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(4) दुर्घटना की स्थिति में अनुसंधान.	15 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	–	(5) वेल्डर परीक्षा	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	–	(6) वाष्पयंत्रों का भाप परीक्षण.	30 दिवस	निरीक्षक वाष्पयंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.